फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II रामगोपाल पारीक बनाम गोविन्द राम वगै.

केस संख्या Ti No - 06/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं: 2 से 4 की तामील बारिए Reg. Pol. कार्यवाही गई थी। तामील रिपोर्ट "Item delivered Confirmed" है। बावजूद तामील प्रति. सं: 2 से 4 अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस T.I. पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय S.F. तारीखात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत घोषणा का है मूलवाद का निस्तारण साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जाना है अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहस आरापी को मूलवाद के निस्तारण तक संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थना T.I. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को तात्कालिक मूलवाद पाबंद किया जाता है की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 775 रकबा 0.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा पटवार हल्का जयपुरा मू० अ०नि० क्षेत्र लूनियावास तहसील खंगारोट जिला उदयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली क्रमांक कुमार होकर फर्म नंबर से कम होकर सेलरूम मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 02/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।